



**LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
OLD SECRETARIAT, DELHI 110 054**

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)
Wednesday, 18 June, 2025/ 28 Jyeshtha, 1947 (Shaka)

No. 21

Sub: Nomination for State Supervisory Board for GNCT of Delhi under Pre-Conception & Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994.

Hon'ble Members are hereby informed that Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly is pleased to nominate the following 03 (three) women Members of Delhi Legislative Assembly, for a term of three years to State Supervisory Board for Government of NCT of Delhi under the provisions of Section 16(A) of the Pre-Conception & Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 :-

1. Smt. Poonam Sharma
2. Smt. Neelam Pahalwan
3. Smt. Shikha Roy

**Ranjeet Singh
Secretary**



विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बुधवार, 18 जून, 2025/ज्येष्ठ 28, 1947 (शक)

संख्या-21

विषय:- गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड के लिए नामांकन

माननीय सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष ने "गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994" की धारा 16(A) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड हेतु दिल्ली विधान सभा की निम्नलिखित 03 (तीन) महिला सदस्यों का तीन वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष नामांकन किया है:-

1. श्रीमती पूनम शर्मा
2. श्रीमती नीलम पहलवान
3. श्रीमती शिखा रॉय

रंजीत सिंह
सचिव